



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6627

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 407 वर्ष 2026

छंगा @ रानूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : केशरी नंदन सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., विजय बहादुर शिवहरे

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री केशरी नंदन सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री संदीप मिश्रा, अधिवक्ता जो श्री विजय बहादुर शिवहरे, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हैं, तथा श्री अरुण कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 88 वर्ष 2025, धाराओं 3(5), 61, 103(1), 109, 191(2), 191(3), 331(4), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - कुरारा, जिला - हमीरपुर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त राम अवतार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 38360 वर्ष 2025 में दिनांक 18.11.2025 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आवेदक का प्रकरण उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक दिनांक 11.4.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा **परस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** में पारित निर्णय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णय के प्रकाश में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत आवेदन समता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **छंगा @ रानू** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026